प्रेस नोट **दिनांक 03.10.2020**

सराहनीय कार्य जनपद बागपत

- **थाना रमाला क्षेत्रान्तर्गत जंगल ग्राम कन्डेरा में व्यक्ति की हत्या कर षव डाल देने की घटना का सफल अनावरण, हत्या में संलिप्त एक अभियुक्त गिरफ्तार, निषांदेही से हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल एक ईट बरामद।**

- **घटना का सक्षिप्त विवरण–**

दिनांक 26.09.2020 को रामगोपाल उम्र करीब 45 वर्ष पुत्र अलबेल निवासी ग्राम बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत की ईटो से चोट पहुंचाकर हत्या कर षव को थाना रमाला क्षेत्रान्तर्गत जंगल ग्राम कन्डेरा में टयूबवेल पर डाल दिया है। इस सम्बन्ध में मृतक के भाई रामपाल की लिखित तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 164/2020 धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

- **पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बागपत के निर्देषन, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व क्षेत्राधिकारी बडौत के नेतृत्व में थाना रमाला पुलिस द्वारा प्रकाष मे आये तथ्यों व प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आज दिनांक 03.10.2020 को सुबह समय करीब 05:30 बजे ग्राम कन्डेरा से हत्या की घटना में संलिप्त अभियुक्त प्रभात उर्फ चित्रसैन पुत्र भुनेष निवासी ग्राम कन्डेरा थाना रमाला जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त प्रभात उर्फ चित्रसैन की निषांदेही से कृष्णपाल के ईख के खेत से हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल एक ईट बरामद की गई। अभियुक्तो के विरूद्व थाना रमाला पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

- **पूछताछ पर प्रकाष में आये तथ्य–**

अभियुक्त प्रभात उर्फ चित्रसैन उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि गाँव के उपेन्द्र उर्फ काला उपरोक्त से मेरी दोस्ती है हम दोनो साथ मे शराब व भांग पीते है तथा हमारे साथ ही ग्राम बामनौली का रामगोपाल पुत्र अलबेल कभी–कभी शराब पीता था। वह बामनौली से हमारे गाँव कन्डेरा मे मजदूरी के बहाने शराब पीने आता था हम उसी को पैसे देकर शराब मंगा लेते थे। हम लोग गाँव के बाहर खेतो मे टयूबवेल पर जाकर चुपचाप शराब पीते थे। दिनांक 25.09.2020 को समय करीब 04.00 बजे मृतक रामगोपाल, कृष्णपाल पुत्र राजबल के घेर से निकलकर गली से जा रहा था तो मैने उसे रोककर पूछा कि कहां घूम रहे हो तो रामगोपाल ने बताया कि वह दोपहर को गाँव कन्डेरा मे आया था। मृतक ने कृष्णपाल के खेत मे गन्ने की छीलाई की, उसके बाद कृष्णपाल के घर खाना खाकर सो गया था। उसी समय प्रभात का दोस्त उपेन्द्र उर्फ काला आ गया तो उसने रामगोपाल को शराब लाने के लिए पैसे दिये। रामगोपाल 03 पव्वे शराब लेकर आया हम तीनो घुमते हुए कृष्णपाल पुत्र राजबल की टयूबवेल पर चले गये और वहां एक साथ बैठकर शराब पी। शराब कम पडने पर हम तीनो ने खेतो मे खडी भांग हाथो पर उतारकर बीडी मे भरकर पी। जिससे हमे काफी नशा हो गया, बातो ही बातो मे रामगोपाल ने नशे में हम दोनो को गन्दी–गन्दी गालिया देनी शुरू कर दी। मैने उसे शान्त करने का प्रयास किया लेकिन वह गाली देता रहा तभी उपेन्द्र उर्फ काला ने एक डण्डा उठाकर रामगोपाल के सिर मे मार दिया। मुझे भी गुस्सा आ गया मैने टयूबवेल की दीवार के पास पडी ईट उठाकर रामगोपल के सिर पर दो–तीन वार किये। उसके सिर से खून बहने लगा तथा वह जमीन पर लुढक गया। हम दोनो घबरा गये और वहाँ से भाग लिये मैने भागते समय हाथ मे पकडी ईट जिस पर खून लगा था पास मे ही कृष्णपाल के ईख के खेत मे छिपाकर रख दी थी। उपेन्द्र उर्फ काला ने अपना डण्डा कहा छिपाया इसकी मुझे जानकारी नही है। मेरे व उपेन्द्र उर्फ काला के द्वारा चोट पहुंचाने से ही रामगोपाल की मृत्यु हुई थी।

- **अभियुक्त का नाम व पता–**

1–प्रभात उर्फ चित्रसैन पुत्र भुनेष निवासी ग्राम कन्डेरा थाना रमाला जनपद बागपत।

- **बरामदगी का विवरण :–**

1–अभियुक्त प्रभात उर्फ चित्रसैन की निषांदेही से आलाकत्ल एक ईट।

- **वांछित अभियुक्त का नाम व पता–**

1–उपेन्द्र उर्फ काला निवासी ग्राम कन्डेरा थाना रमाला जनपद बागपत।

- **थाना कोतवाली बागपत क्षेत्रान्तर्गत जंगल ग्राम संतोषपुर में व्यक्ति की हत्या कर षव डाल देने की घटना का सफल अनावरण, हत्या में संलिप्त 03 अभियुक्त गिरफ्तार।**

- <u>घटना का सक्षिप्त विवरण–</u>

दिनांक 02.10.2020 को इन्द्रपाल उम्र करीब 48 वर्ष पुत्र लेखराम निवासी ग्राम संतोषपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत की हत्या कर षव को छिपाने के उददेष्य से जंगल ग्राम संतोषपुर में सत्तू पुत्र चतरू के ईख के खेत में डाल दिया है। इस सम्बन्ध में मृतक के भाई सुन्दर की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 723/2020 धारा 302, 201 भादवि बनाम 1–भीम 2–सोनू पुत्रगण फिरे 3–फिरे पुत्र गोपीचन्द निवासीगण ग्राम संतोषपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत के विरूद्व पंजीकृत किया गया था।

- <u>पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–</u>

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बागपत के निर्देषन, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व क्षेत्राधिकारी बागपत के नेतृत्व में थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा आज दिनांक 03.10.2020 को सुबह समय करीब 08:00 बजे ग्राम संतोषपुर से हत्या की घटना में संलिप्त अभियुक्त 1–भीम 2–सोनू पुत्रगण फिरे 3–फिरे पुत्र गोपीचन्द निवासीगण ग्राम संतोषपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तो के विरूद्व थाना कोतवाली बागपत पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

- <u>पूछताछ पर प्रकाष में आये तथ्य–</u>

अभियुक्त भीम पुत्र फिरे के द्वारा बताया कि मैं अविवाहित हूं मेरे पिछले 04–05 वर्षो से मृतक इन्द्रपाल की पत्नी सुनीता से अवैध सम्बन्ध है। मृतक इन्द्रपाल शारिरिक रूप से कमजोर था तथा शराब पीने का आदि था। मेरे व मृतक की पत्नी सुनीता के अवैध सम्बन्धों की जानकरी मृतक इन्द्रपाल व उसके परिवार को हो गयी थी। मेरे पिता फिरे व मेरे भाई सोनू उर्फ सोनपाल जो अविवाहित है हम तीनों ने योजना बनाई थी कि इन्द्रपाल की हत्या कर उसे रास्ते से हटा देंगे तो इन्द्रपाल की पत्नी सुनीता की षादी मुझसे हो जाऐगी तथा इन्द्रपाल की 12 बीघा जमीन भी हमारे यहां आ जायेगी। इस योजना के अनुसार मैनें दिनांक 26.09.20 को इन्द्रपाल को अपने घर पर शराब पिलाई तथा दिनांक 27.09.20 को भी साय 08.00 बजे इन्द्रपाल को सत्तू की टयूबवैल पर अपने साथ बैठाकर शराब पिलाई। मैं 03 पव्वे लेकर आया था जिसमें से 02 पव्वे इन्द्रपाल को पिलाये तथा 01 पव्वा मैनें पिया। जब इन्द्रपाल को ज्यादा नशा हो गया तो मैनें इन्द्रपाल का गला दबाकर हत्या कर दी तथा इन्द्रपाल के शव को टयूबवैल से उठाकर सत्तू के ईख के खेत में डालकर आ गया था। अभियुक्त सोनू व फिरे उपरोक्त ने भी उक्त ब्यानों का समर्थन कर ब्यान दिये।

- <u>अभियुक्त का नाम व पता–</u>

1–भीम पुत्र फिरे ग्राम संतोषपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
2–सोनू पुत्र फिरे ग्राम संतोषपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
3–फिरे पुत्र गोपीचन्द निवासी ग्राम संतोषपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

- **थाना छपरौली पुलिस द्वारा एक वांरटी अभियुक्त गिरफ्तार।**

थाना छपरौली– पुलिस द्वारा एक वांरटी अभियुक्त अंकुष पुत्र रमेष निवासी ग्राम षबगा थाना छपरौली जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के विरूद्व थाना छपरौली पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।